






उनवान:- मुनेश बनाम मन वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
	<p>वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 22.07.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप-जिला कलेक्टर टोडाभीम जिला, करौली</p>	<p style="text-align: right;">2366-71 10/7/2020</p>
<p>22.7.20</p>	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 4, 6 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने उपस्थिति दर्ज की। प्रतिवादी नम्बर 3, 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकालतनामा एवं जबाब पेश करने दिनांक 19-8-20 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: right;">उपस्थित 1, 2, 4, 6  ५</p>
<p>19.8.20</p>	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3, 5, 6 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश कर वाद यत्र की प्रति प्राप्त नहीं होने का एतराज दर्ज कराया। वारी वकील उहे वाद की प्रति उपलब्ध कराये। यह भी कथन किया कि प्रतिवादी नं. 1 मन नहीं है। उका उसका नाम-सूरजमल है। वादी वकील ने वादी से जानकारी कर नाम के बारे में सूचित करने का निवेदन किया। आईन्दा दिनांक 16.9.20 को पेश है। प्रतिवादी नम्बर नं. 4 स्वयं को वकालतन उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 3, 5 के विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही वादी वकील की सहमति दिये जाने से अर्पात की जाती है। पत्रावली दिनांक 16.9.20 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"></p>	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
23 ¹ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्षकारान उग्र वास्ते तलबी कायम मुकाम इरु प्रार्थना पत्र पेश करने दिनांक 12.3.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(५)</p>
12 ³ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। उग्रपक्षकारान व उनके वकील डिप्टी प्रॉसीक्यूट, न्यायालय द्वारा बार-बार शिवाज किलवाय गाने पर भी उग्रपक्षकारान तथा उनके वकील डिप्टी प्रॉसीक्यूट रखे से वाकीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्मार्ड निवे दस्ता आ इरु हाजरी इरुा पेशी अर्थात् किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फॉर्मल शुमार नम्बर से का देखे दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">(५)</p>